

17/07/19

वकील शर्मा उषाजी। अग्रणी कायदा  
रानीका कास में दायित्व नहीं होने से  
व्यक्तिगत रूप से होने से इकाका सर्पिली  
काल में कार्य करती है। प्रिधान का  
काम 15 229/19 के पेश है

li y

20/9/19

वकील शर्मा उषाजी। अग्रणी कायदा  
का एक एकपक्षीय सुनवाई। पणवली वास्ते  
दोसरे दिनांक 14/10/19 को पेश है

li y

14/10/19

पणवली वास्ते निर्णय आज प्रस्तुत हुई।  
वकील शर्मा उषाजी। बहस पर मनन किया।  
पणवली का अवलोकन किया। शर्मा व  
अग्रणीका दोनों को तर्फाला दावा जारीये  
अग्रणी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता  
है कि खसरा सं. 229 किस गै. मु.नाला  
की डोल. मैल को नष्ट नहीं करके मोठे  
की उपस्थिति बनाये रखें। साथ ही तहसीलपदा  
धोद को लिखा जावे कि सरकारी भूमि खसरा  
सं. 229 गै. मु.नाला पर यदि शर्मा और  
अग्रणीका द्वारा अतिक्रमण किया गया हो,  
तो उनके विरुद्ध हल्त आर एक्डकी धारा 9।  
में कार्यवाही की जावे। निर्णय सुनाया गया।  
पणवली केसल शुमार लेकर नम्बर से कम  
होकर मूलदावा के संलग्न हों।

li y

उपसुण्ड अधिकारी  
धोद मु. सीकर

